



उत्तमा बुनिरतु कृषिकर्मव

कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर-I  
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,  
बीकानेर-334006 (राजस्थान)



डॉ. मदन लाल रैगर  
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

मेल : kvkbikaner@gmail.com  
फोन नं. : +91-0151-2970070 O)  
मोबाइल नं. : 09413123126

कमांक:एफ.(टे.फा.) / केविके-बीकानेर / लेखा / स्वाकेराकृवि / 2026 / 04-06 दिनांक 14.05.2026

खुली निविदा सुचना संख्या-02 / 2026-27

कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में समय-समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न कृषक प्रशिक्षणों/किसान मेलों व अन्य कार्यक्रमों के दौरान प्रशिक्षणार्थियों/किसानों के लिये चाय, नाश्ता व भोजन की व्यवस्था हेतु संबंधित फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 27.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें राजपत्रित अवकाश के अलावा किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.30 बजे से सांय 4.30 बजे तक 500/- रु. नगद या डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) जो **Trainig Organiser, Krishi Vigyan Kendra, Bikaner** के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा दिनांक 27.05.2026 को ही दोपहर 02.00 बजे निर्धारित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी एवं विवरण वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं [www.raubikaner.org](http://www.raubikaner.org) पर देखा जा सकता है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
कृषि विज्ञान केन्द्र  
बीकानेर



# कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर-I

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर




दिनांक : 14.05.2026

## खुली निविदा की शर्तें (ख) :-

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। उपरोक्त कार्य हेतु जारी निविदा की अनुमानित धरोहर लागत राशि-6,00,000.00 लाख रुपये (अखरे रुपये छः लाख) होगी जिसमें स्वीकृत निविदादाता/ठेकेदार को अनुमानित लागत राशि पर नियमानुसार 02 प्रतिशत की दर से राशि-12,000/- रुपये सुरक्षित धनराशि धरोहर के रूप में कैश या डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) जो **Trainig Organiser, Krishi Vigyan Kendra, Bikaner** के पक्ष में देय हो जो निविदा फार्म के साथ जमा करानी होगी। इसके पश्चात सफल निविदादाता को निविदा स्विकृत होने के बाद कुल अनुमानित लागत राशि पर 3 प्रतिशत की दर से राशि-18,000/- रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में दो दिवस के अन्दर जमा करवाना होगा। बिना धरोहर राशि के अभाव में निविदा फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके साथ ही जिस व्यक्ति/फर्म की दरें अनुमोदित होगी उसकी धरोहर राशि को बतोर अमानत राशि के रूप में कार्यालय में जमा रखी जायेगी जो कार्य अवधि समाप्त होने पर तथा "नो ड्यूज" प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस लौटा दी जावेगी।
2. यदि निविदादाता/ठेकेदार बीच में किसी कारण से ठेका छोड़ देता है तो उसकी जमा संपूर्ण धरोहर राशि कार्यालय द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
3. निविदादाता को निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे:-
  - (क) रुपये 100/- के एफिडेबिट पर यह देना होगा कि निविदादाता/फर्म/एजेन्सी किसी भी रूप में ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
  - (ख) निविदादाता/फर्म/एजेन्सी का संबंधित विभाग से पंजीकरण दस्तावेज मय जी.एस.टी. नम्बर व पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें।
  - (ग) रुपये 100/- के एफिडेबिट पर यह देना होगा कि निविदादाता/फर्म/एजेन्सी का वित्तीय वर्ष 2025-26 का किसी भी प्रकार का कोई टैक्स बकाया नहीं है।
  - (घ) निविदादाता/फर्म/एजेन्सी को अपना फूड सपटी लाइसेंस की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
3. निविदादाता द्वारा नियुक्त मैन कुक/हेड कुक को केटरिंग का कम से कम दो साल का अनुभव होना अनिवार्य हैं। (साक्ष्य संलग्न करें)
4. किसी प्रकार की काउण्टर कण्डीशन मान्य नहीं होगी।
5. धरोहर राशि के अभाव में भरे हुए निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा असफल निविदादाता की धरोहर राशि निविदा कार्यवाही पूरी होने के पश्चात उसी दिनांक को लोवस्ट निविदादाता की धरोहर राशि को छोड़कर शेष असफल निविदादाताओं को उनकी धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) या कैश वापस लौटा दीये जायेंगे।
6. निविदा में दी गई दरों में काट छांट नहीं होनी चाहिए। काट छांट होने पर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदादाता द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के अलावा अन्य का मैस में प्रवेश वर्जित रहेगा।
8. मैश एवं डायनिंग हाल की सफाई की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
9. उपलब्धता के आधार पर "जहां है जैसी है" मैश की जगह एवं डायनिंग हॉल के फर्नीचर के अलावा कोई समान देय नहीं होगा।
10. बर्तन, गैस, फ्रीज, क्रोकरी व अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर पर करनी होगी।
11. कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर के द्वारा गठित समिति/प्रभारी अधिकारी, द्वारा समय समय पर निविदा संबंधी शर्तों एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी।
12. मैश में स्वस्थ रसोईये ही स्वीकार्य होंगे। मैश में कार्यरत श्रमिकों के नैतिक चरित्र की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
13. मैश में मदिरा का सेवन पूर्णतया वर्जित रहेगा।

- 14 मेश श्रमिकों के व्यवहार संबंधी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 15 निविदादाता या निविदादात के कर्मचारीयों द्वारा विश्वविद्यालय की सम्पति को कोई नुकसान नहीं  
पहुंचाया जायेगा, नुकसान होने पर भरपाई निविदादाता को करनी होगी।
- 16 विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सामान की टूट - फूट की मरम्मत निविदादात को करवानी होगी।
- 17 सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षकर्ता को होगा तथा  
धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 18 समय पूर्व अनुबंध तोड़ने पर भी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को काली सूचि में  
डाल दिया जायेगा।
- 19 खाद्य एवं पेय पदार्थों की दर एवं अन्य विवरण काउण्टर/बोर्ड पर लिखकर रखना होगा।
- 20 निविदादाता द्वारा काम में ली गई समस्त सामग्री की समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
- 21 विवाद होने पर न्याय क्षेत्र बीकानेर न्यायालय होगा।
- 22 निविदादाता को अपने कर्मचारीयों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाना होगा जो संबंधित अधिकारी  
या कर्मचारी द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।
- 23 समस्त खाद्य एवं पेय पदार्थों के बनाने में उत्तम क्वालिटी का समान ही काम में लेना होगा तथा  
खाना शुद्ध एवं ताजा देना होगा।
- 24 सफल निविदादाता की निविदा 01 साल तक के लिये मान्य होगी जो जरूरत पड़ने पर घटाया या  
बढ़ाया जा सकेगा।
- 25 कार्य करते समय किसी भी प्रकार के नुकसान एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 26 निविदादाता एवं उनके श्रमिकों को नियमों का अक्षरसः पालन करना होगा।
- 27 संबंधित अधिकारी, द्वारा मेश/रसोई के बारे में जानकारी मांगने पर तुरन्त उपलब्ध करवानी होगी।
- 28 बिजली पानी का उपयोग क्रिफायत से करना होगा।
- 29 हीटर का उपयोग निषेध रहेगा।
- 30 चाय जितने समय बताया जायेगा उतने समय प्रशिक्षणार्थियों का देनी होगी।
- 31 निविदा में केवल मांगी गई सामग्री के लिए ही अपनी निविदा राशि भरकर दें। अन्य सामग्री के  
लिए निविदा प्रस्तुत नहीं करें।
- 32 आदेश देने पर केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्थल बीकानेर अथवा बीकानेर से बाहर भी चाय,  
नाश्ता एवं खाना उपलब्ध करवाना होगा।
- 33 मांसाहारी खाना पकाना व परोसना वर्जित रहेगा।
- 34 खाने की स्वच्छता, स्वादिष्टता एवमं गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा।
- 35 बाल श्रमिकों का नियोजन वर्जित रहेगा।
- 36 अनुबंध खत्म होने पर कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर से " नो ड्यूज " लेना होगा।
- 37 किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक  
एवं अध्यक्ष, केविके, बीकानेर के पास सुरक्षित रहेगा।
- 38 निविदादाता मेश को अन्य व्यक्ति/फर्म को सबलैट नहीं कर सकेगा।
- 39 सफल निविदादाता को नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प रूपये 500/- पर इकरारनामा/अनुबन्ध प्रेषित  
करना होगा।

  
 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
 कृषि विज्ञान केन्द्र  
 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
 बीकानेर

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते है कि मैने/हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपरोक्त शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली है तथा स्वीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर